बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0 अनु0जनजातिआ0वि0(रा0 स्कीम) संधा0 46–03 / 2025– 296

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
प0 चम्पारण (बेतिया) / जमुई / भागलपुर।

पटना, दिनांक– 29.01.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प0 चम्पारण (बेतिया), जिलान्तर्गत संचालित पाँच अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, भागलपुर, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं +2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, प0 चम्पारण तथा जमुई के संधारणार्थ विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवाएँ मद में कुल ₹29,68,425 / –(उनतीस लाख अड़सठ हजार चार सौ पचीस रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प0 चम्पारण (बेतिया), जिलान्तर्गत संचालित पाँच अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं +2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, प0 चम्पारण तथा जमुई के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹22,00,00,000 / –(बाईस करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–30 दिनांक–22.04.2025 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिलावार संलग्न विवरणी के अनुसार विद्युत प्रभार एवं संविदा सेवा मद में कुल ₹29,68,425 / – (उनतीस लाख अड़सठ हजार चार सौ पचीस रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2–आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0106–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0106.13.04– विद्युत प्रभार एवं 0106.28.02–संविदा सेवाएँ मद में मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770106 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3–इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, तथा संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98 एवं पत्रांक–3576 दिनांक–01.04.2024 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र / परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6–राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

29.1.26

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0 अनु0जनजातिआ0वि0(रा0 स्कीम) संधा0 46–03 / 2025– 296 पटना, दिनांक– 29.01.2026
प्रतिलिपिः– (1) महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला के जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित उप निदेशक कल्याण / उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प0 चम्पारण (बेतिया) / जमुई / भागलपुर जिलान्तर्गत आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद एवं संविदा सेवाएँ मद में आवंटित राशि की विवरणी।

(राशि–रू0 में)

जिला	विद्युत प्रभार मद (13.04)	संविदा सेवाएँ मद (28.02)	कुल योग
प0 चम्पारण (बेतिया)	1500000	568425	**2068425**
जमुई	0	800000	**800000**
भागलपुर	100000	0	**100000**
कुल	**1600000**	**1368425**	**29,68,425**

कुल राशि (उनतीस लाख अड़सठ हजार चार सौ पचीस रू0) मात्र

निदेशक।